No.21/7/2023-CS.I (Coord.) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training (CS.I Division)

Lok Nayak Bhawan, New Delhi Dated the 18th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Vacancy Circular (VC) for engagement of retired Government Officers as Consultant on contract basis in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Regarding.

Reference is invited to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship's Circular No. A-12011/03/2020-Estt. (Part-2) dated 03.04.2023 (copy enclosed) for inviting applications for engagement of retired Government Officers as Consultant on contract basis in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The last date of submission of the application is within 30 days from publication of this advertisement date.

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/Department/Office directly.

Encl: As above

100/202

(Sunil Kumar) Under Secretary to Government of India

To (through DoPT's website): (For Retired Officers)

क-12011/03/2020-स्था. (भाग-2) भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

ł,

2

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001, दिनांक 03 अप्रैल, 2023

<u>रिक्ति परिपत्र</u>

विषय:- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में आईएफडी के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय संविदा के आधार पर एक परामर्शदाता को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। सरकारी संगठनों से सहायक अनुभाग अधिकारी (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव)/अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति की अवधि आरंभ में नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। इस परिपत्र के अनुबंध-। में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन, यदि परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो इसे अवधि के समाप्ती पर एक और वर्ष लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप (अनुबंध) में सहायक दस्तावेज़ के साथ ई-मेल के माध्यम से prabha.s72@gov.in और <u>satish.kumar70@nic.in</u> की मेल आई डी पर जमा कर सकते हैं। कार्यभार ग्रहण करने के समय सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज की आवश्यकता होगी। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। पात्रता मानदंड और नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्ते अनुबंध-1 में दी गई हैं।

ूरभाष: 011-23465890

अनुबंध-।

:

٠.

۰.

परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए शर्तें

1.	पद का नाम	परामर्शदाता		
2.	पदों की संख्या	एक		
3.	पात्रता मानदंड और कार्यक्षेत्र/कार्य दायित्व	स.अनुभाग अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव का 01 पद		
		पात्रता मानदंड - सरकारी कर्मचारी जो एक सरकारी संगठन से सहायक अनुभाग अधिकारी (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव)/अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और केंद्रीय मंत्रालय में वित मामलों से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।		
		कार्य क्षेत्र /जॉब का दायित्व :		
		 संविदा या स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार वितीय प्रस्ताव की जांच करना। ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों का विश्लेषण करना। ईओआई/आरएफपी/बोली दस्तावेजों की जांच करना। संविदा का परीक्षण करना। जीएफआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय 		
		सलाहकार की सहमति से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की जांच करना। • जीएफआर और क्रय प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान। • निधि जारी करने के लिए डीओई के विभिन्न मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी। • एमएस ऑफिस का ज्ञान।		
1.		संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी।		
5.	संविदा अवधि का विस्तार	एमएसडीई के लिए उपर्युक्त पद पर नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे नियुक्त व्यक्ति के संतोषजनक कार्य और उसकी सेवाओं की		

YM

		आवश्यकता के अध्यधीन एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परामर्शदाताओं के कार्य की साल के अंत मे समीक्षा की जाएगी और कार्य के आधार पर उनकी संविदा को बढ़ाया या समाप्त किया जाएगा (जैसा भी मामला हो)। इस संबंध में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।
6.	आयु-सीमा	पद के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार)। हालांकि, नियुक्ति के कार्यकाल के विस्तार के लिए आयु सीमा 65 वर्ष होगी। संविदा को 65 वर्ष तक जारी रखने के लिए परामर्शदाता की स्वास्थ्य स्थिति, उसकी सेवाओं की अनिवार्यता तथा उसकी विशेषज्ञता के स्तर को ध्यान में रखते हुए सचिव, एमएसडीई के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
7.	पारिश्रमिक (प्रतिमाह)	एक निश्चित मासिक राशि वेतन के रूप में देय होगी, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन से पेंशन को घटाकर की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि संविदा की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। संविदा अवधि के दौरान कोई वार्षिक वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं देय होगी।
8	अवकाश	परामर्शदाता को सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 1.5 दिनों का सवैतनिक अवकाश स्वीकार्य होगा। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश के संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9.	नियुक्ति की अन्य शर्ते	1. परामर्शदाता नीचे दिए गए पैरा 9 में वर्णित परिवहन भत्ते को छोड़कर किसी भी अन्य मासिक भत्ते जैसे महंगाई भता, वाहन भता, एचआरए आदि का हकदार नहीं होगा। तथापि, यदि परामर्शदाता को सरकारी कार्य के संबंध में दिल्ली से बाहर यात्रा करना आवश्यक है, तो मंत्रालय समूह क राजपत्रित अधिकारी पर लागू केंद्र सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार यात्रा की वास्तविक लागत और दैनिक

•

• •

۰ ،

-

-

÷

Jur

भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा।

 परामर्शदाता किसी भी अन्य सुविधाओं जैसे आवासीय टेलीफोन, आवास, सीजीएचएस और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत सहायक स्टाफ, परिवहन सुविधाओं आदि के लिए पात्र नहीं होगा।
 परामर्शदाता को एमएसडीई द्वारा उसे सौंपे गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

4. मौजूदा नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर पारिश्रमिक भुगतान करने से पहले स्रोत से काटा जाएगा जिसके लिए एमएसडीई टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. परामर्शदाता किसी भी मामले में, एमएसडीई के साथ अपने कार्य की अवधि के दौरान अदालत में या किसी अन्य प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल आदि में काम या प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या एमएसडीई के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में राय, सलाह नहीं देगा। इसके अलावा, किसी भी मामले में, परामर्शदाता किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई कार्य या आचरण नहीं करेगा या एमएसडीई को कोई सलाह नहीं देगा जो एमएसडीई के हित के प्रतिकूल हो।

6. निम्नलिखित स्थितियों में परामर्शदाता का अनुबंध एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है:

॰ यदि परामर्शदाता सौंपे गए कार्य को करने में असमर्थ है,

सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता एमएसडीई की अपेक्षा
 के अनुरूप संतोषजक नहीं है,

• यदि परामर्शदाता उचित प्राधिकार के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है।

7. यदि मंत्रालय संविदा अवधि के अंत में परामर्शदाता की संविदा को नवीकृत नहीं करता है, तो नोटिस अवधि लागू नहीं होगी।

8. तथापि, एमएसडीई के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सिद्ध कदाचार के आधार पर बिना किसी पारिश्रमिक या नोटिस की अवधि के,

		बिना कोई स्पष्टीकरण दिए या जो भी लागू हो,
		तत्काल प्रभाव से संविदा को समाप्त कर सकता है।
		9. अन्य आधारों पर परामर्शदाता को 30 दिनों की
		लिखित सूचना द्वारा सेवा समाण्ति, सेवा समाण्ति
		से पहले अर्जित किसी भी पक्ष के अधिकारों पर
		प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभावी होगी।
		10. परामर्शदाता यदि कार्य छोड़ने का विकल्प
		चुनता है तो उसे एमएसडीई को एक महीने का
		नीटिस देना होगा जिसके लिए मंत्रालय में सक्षम
		प्राधिकारी द्वारा उसे कार्यमुक्त करने के लिए
		स्वीकृति की आवश्यकता होगी ।
		11. संविदा की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले
		कानूनी विवादों के लिए क्षेत्राधिकार, केवल दिल्ली
		न्यायालयों में होगा।
		12. कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में
		नियुक्ति की अवधि के दौरान एमएसडीई से जुड़ी
		बातों को एमएसडीई के अधिकारी के अलावा किसी
ľ		भी व्यक्ति को, किसी भी समय साझा नहीं करेगा,
		चाहे वह इस तरह की नियुक्ति के दौरान हो या
}		उसके बाद हो। इसके अलावा, परामर्शदाता
		एमएसडीई से संबंधित मामले में या एमएसडीई/केंद्र
		सरकार के हितों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति का
		प्रतिनिधित्व या सलाह या काम परामर्शदाता के पद
		से समाप्ति या अवमुक्ति की तारीख से 2 वर्ष
		तक नहीं करेगा ।
10.	परिवहन भत्ता	निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के लिए
		परिवहन भत्ते के रूप में एक उपयुक्त और निश्चित
		राशि, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति के
		लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी, दी जाएगी। इस
		प्रकार नियत की गई राशि नियुक्ति की अवधि के
		दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, परामर्शदाता के
	1	रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को
		सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार
1		आधिकारिक दौरे के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की
		अनुमति दी जा सकती है। परामर्शदाता को सरकारी
		खर्चे पर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
L	(

.

.

- -

:

•

-

.

- .

ZW

11.	चयन प्रक्रिया	केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों क
		साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन
		चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार म
		प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार मं
		भाग लेने के लिए कोई टीए या डीए का भुगतान
		नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय, शॉर्टलिस्ट
		किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने
		जीवन-वृत्त और प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत
· <u> </u>		करना होगा।
12.	उपस्थिति और कार्य घंटे	परामर्शदाता के काम के घंटे वही होंगे जो मंत्रालय
		में कार्यरत नियमित सरकारी कर्मचारी के लिए हैं
		कार्यालय समय के बाद य
		शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिन कार
		करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नही
•		होगा। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति अवकाश सक्षम
		प्राधिकारी के विवेक पर होगा।
13.	गोपनीयता और सत्यनिष्ठा	एमएसडीई में नियुक्ति की अवधि के दौरान
		परामर्शदाता को शासकीय गुप्त बात अधिनियम
		1923 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होग
		और वह अपने कार्य की अवधि के दौरान एकत्र की
		गई किसी भी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति के
		नहीं बताएगा जो इसे जानने के लिए अधिकृत नहीं
		考1.

i

ym

٠

-

अपना हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का आवेदन पत्र:

(टिप्पणी: कृपया विवरण टाइप करें):

5

10. पिछले दस वर्षों की सेवा के दौरान सरकार में धारित पद:

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग के नाम	वेतन मान	से	तक	निष्पादित कार्य की
	सहित पद का नाम				प्रकृति
	एवं पदधारण का स्थान				-
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

11. कौशल/प्रशिक्षण:

12. उक्त पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में कोई अन्य विशेष जानकारी, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ का उपयोग करें)।

13. कृपया पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की एक प्रति संलग्न करें ।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

ż

स्थान:

दिनांक:

A-12011/03/2020-Estt. (Part-2) Government of India Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg New Delhi-110001, Dated 03rd April, 2023

VACANCY CIRCULAR

Subject:- Engagement of One Consultant for IFD in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - reg.

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship proposes to engage one Consultant on contract basis. Applications are invited from retired Govt. employees who have retired as Assistant Section Officer (minimum 5 years experience)/ Section Officer/Under Secretary from Government organisations. The period of engagement is initially for one year from the date of appointment. It may be extended for additional period of one year, at a time, if the services are required, subject to the Consultant meeting the eligibility criteria mentioned in Annexure-I to this circular.

2. Interested and eligible candidate may submit their applications in the enclosed format (Annexure) along with supporting documents through email to prabha.s72@gov.in and satish.kumar70@nic.in within 30 days from publication of this advertisement date. Original documents will be required for verification at the time of joining. No TA/DA will be payable by the Ministry/Department to attend the interview. The eligibility criteria and terms and conditions of engagement are given in Annexure-I.

(Prabha Sharma) Under Secretary to Govt of India Tel: 011-23465890

Annexure-I

.

ð

.

Terms of Reference for engaging Consultant

.

. .

<u> </u>	Name of the post	Consultant
2.	Number of posts	One
3.	Eligibility Criteria and Scope of work/Job responsibility	Level of ASO/SO/US – Post -01 Eligibility Criteria-Govt. employee who has retired as Assistant Section Officer (minimum 5 years experience)/ Section Officer/Under Secretary from a Government organization and has a minimum of three years
		experience in handling Finance matters in a Central Ministry. Scope of work/Job responsibility :
		 Examination of Financial Proposal as per contract or scheme guidelines. Analysis of EFC/SFC Proposals. Examination of EOI/RFP/Bid Documents Examination of contract Examination of various proposals relating to concurrence of FA as per guidelines of GFR. Thorough knowledge of GFR and Purchase Procedures. Awareness of various existing rules/guidelines of DoE for release of funds. Knowledge of MS Office.
4.	Period of engagement	The period of engagement on contract will be initially for a period of one year.
5.	Extension of period of contract	The appointment to the above post will be purely on contract basis initially for a period of one year. further extendable by another year subject to the appointee's satisfactory performance and the requirement his/her services. The performance of the Consultants will be reviewed every year and their contract shall be extended or discontinued (as the case may be) depending on their performance. The decision of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship shall be final in this regard.
6.	Age Limit	Maximum age limit for applying for the post is 62 years (as on the last date of receipt of application). However, age limit for extension of the tenure of engagement would be 65 years. Continuation of contract upto 65 years of age will require the approval of Secretary MSDE keeping in view the health condition of the

11

	1	Consultant. Extension of contract beyond 65 will be done
		with the approval of Deptt. of Expenditure depending on the essentiallity of his/her services and the level of his/her expertise.
7.	Remuneration(per month)	A fixed monthly amount shall be admissible as pay, which would be arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of
 		remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. There will be no annual increment / percentage increase during the contract period. Paid leave of 1.5 days for each completed calendar month
8.	Leave	of service will be admissible to a Consultant. Accumulation of leave beyond a calendar year will not be allowed.
9.	Other terms of engagement	1. The Consultant will not be entitled to any separate monthly allowance such as Dearness Allowance, conveyance allowance, HRA etc except transport allowance discussed at Para 9 below: However, in case, the Consultant is required to travel outside Delhi
	1	in connection with the work/assignment, the Ministry shall reimburse the actual cost of travel and daily allowance as per the Rules/ regulation of the central Government applicable to Group A Gazetted Officer.
		2. The Consultant will not be eligible for any other facilities such as residential telephone, residential accommodation, CGHS and medical reimbursement, personal support staff, Transport facilities etc.
	· ·	 The Consultant will be required to discharge all the duties as assigned to him/her by the MSDE. The Income tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source
		before effecting the payment for which MSDE will issue TDS Certificate. 5. The Consultant shall, in no case, work or represent in
		court or before any other authority, tribunal etc. or give opinion, advice to any person other than MSDE in any matter during the during the period of his/her engagement with MSDE. Further, in no case, the Consultant shall act, or conduct anything regard to any
		person or render any advice to MSDE which is adverse to the interest of MSDE.6. The Contract of Consultant may be terminated, after
		 giving one month notice, in the following situations: If the Consultant is unable to do the assigned work. Quality of assigned work is not to the satisfaction of the MSDE.
	•	 If the Consultant is absent from duty without due authorization. 7. If the Ministry elects not to renew the contract of the Consultant at the anti-of period, the notice period is not.
		Consultant at the end of period, the notice period is not applicable.

Ŋ

ა

ň

۲ ۲۰۰۰

′ <u></u>	<u> </u>
10 Transport Allowance	 remuneration or notice period on the ground of proven misconducts. 9. Termination on other grounds shall be effected by written notice of 30 days served to the Consultant. The termination will be without prejudice to either party's rights accrued before termination 10. The Consultant is required to give one month notice to the MSDE in case he/she opts to quit the assignment which requires the acceptance by the competent authority in the Ministry for relieving him from the assignment. 11. Jurisdiction for legal disputes, if any arising during the period of the contract, will be in Delhi Courts only. 12. The person who has worked as Consultant shall not disclose any information held by him/her during the period of such engagement to any person other than MSDE at any time whether during continuance of such engagement or after its severance. Further the Consultant shall not represent or advice or work for any person in the matter related to MSDE or against the interests of MSDE/Central Govt., for 2 years from the date of termination or discharge from the post of Consultant.
10. Transport Allowance	An appropriate and fixed amount as Transport Allowance
	for the purpose of commuting between the residence and place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, retired employees engaged as Consultants may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement. Also, the Consultant shall not be allowed foreign travel at Government expense.
11. Selection process	Only the shortlisted candidates will be called for the interview. Final selection will be done on the basis of performance in personal interview by a selection committee. No TA or DA will be paid for attending the interview. At the time of interview, shortlisted candidates are required to produce their bio-data and certificates, in original, for verification.
12. Attendance and working hours	The working hours of the Consultant will be same as for regular Govt. employee working in the Ministry. No Extra remuneration shall be paid for working beyond office hours or on Saturdays/Sundays/Gazetted holidays. Compulsory leave in such cases shall be at the discretion of the competent authority.
13. Confidentiality and Secrecy	During the period of engagement with MSDE, the Consultant has to strictly comply with the provisions of India Official Secret Act, 1923 and will not divulge any information gathered during the period of his/her assignment, to anyone who is not authorized to know the same.

PS-

Ŧ

Paste your recent passport size photograph here

Application Form for engagement of Retd. Govt. Servants as Consultants in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

•

(Note: Please type the particulars):

- 1. Name:
- 2. Father's Name:
- 3. Date of Birth:_____
- 4. Domicile:_____
- 5. Nationality:___
- 6. Postal Address for correspondence:
- 7. E-mail:
- 8. Mobile:
- 9. Educational Qualifications:

10. Positions held in the Govt, during last ten years of service:

Sl. No.	Designation & Place of posting including the name of the Ministry/Department	Scale of pay	From	То	Nature of duties performed
		4			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11. Skills/ Trainings:

12. Any other specific information, if any, in support of your suitability for the said engagement (Use separate sheets, if necessary).

٨

13. Please attach a copy of Pension Payment Order (PPO)

Name and Signature of the Applicant

Place:

Date: